<u>न्यायालयः सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम० जलेसर, एटा।</u>

<u>उपस्थित : मोहित कुमार (J.O. CODE- UP 4823) उ०प्र० न्यायिक सेवा</u>

दाण्डिक वाद संख्या– 839/2024

राज्य **बनाम** यूनुस उर्फ लूला

अपराध संख्या– 220/2000
धारा– 25 आयुध अधिनियम
थाना– अलीगंज, जिला

<u>24.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 25.02.2026 द्वारा अभियुक्त यूनुस उर्फ लूला पुत्र उस्मान खाँ निवासी मौ० टपकन टोला कस्बा व थाना अलीगंज, जनपद एटा को फरार घोषित कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन अन्तर्गत धारा 299 दं०प्र०सं० नियत की गयी थी। अभियोजन को साक्ष्य कराये जाने हेतु अंतिम अवसर दिया जा चुका है, किन्तु अभियोजन की ओर से कोई भी साक्ष्य अंकित नहीं कराया गया है। चूँकि अभियुक्त को फरार घोषित किया जा चुका है, अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध स्थाई वारण्ट जारी किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध उदघोषणा सहित गैर जमानतीय वारण्ट सम्बन्धित थानाध्यक्ष को इस आशय से भेजी जाये कि अभियुक्त को गिरफ्तार किये जाने की दशा में न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जावे। आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी को उदघोषित अपराधी की सूचना सुसंगत अभिलेखों में दर्ज कराने के लिये प्रेषित की जावे, तद्नुसार धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पत्रावली अभिलेखागार में दाखिल दफ्तर हो तथा रिकार्ड कीपर निर्धारित अवधि पर पत्रावली सुरक्षित रखेंगे। **<u>इस पत्रावली पर कोई प्रपत्र विनष्ट नहीं किया जायेगा, इस आशय का पृष्ठांकन पत्रावली के शीर्ष पर लाल स्याही से अंकित किया जावे।</u>** अभियुक्त की गिरफ्तारी होने पर पत्रावली पुनः प्रस्तुत हो।

(मोहित कुमार)
सिविल जज (जू०डि०)/
जे०एम० जलेसर, एटा
(J.O. Code UP 4823)